

## आदेश

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा पंचायतीराज विभाग हेतु की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मा० मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–33/XXXV–4 / 16 / 88(16)2014, दिनांक 22 जनवरी 2016 (पताका अ) के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को रु0 38.14 लाख (रु0 अड़तीस लाख छौदह हजार मात्र ) का धनावंटन हुआ है। उक्त आवंटित धनराशि को मा० मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 जनवरी 2016 के द्वारा घोषणा संख्या–495 / 2014 (देघाट में टैक्सी स्टैण्ड का निर्माण किया जायेगा) के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, भिकियासैण को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत उनके निर्वतन में रखकर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

आवंटित धनराशि को निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किया जायेगा।

- 1— कार्य की प्रगति की निरन्तर एवं गहन समीक्षा करते हुये कार्य को निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा दिलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2-- उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित विभाग व कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल एम0ओ0य०० हस्ताक्षरित कर अवलोकित करवाया जायेगा।
- 3— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 4— कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गई है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 5— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 6— स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400 XXVII(1) / 2015, दिनांक 01 अप्रैल 2015 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7— मुख्य सचिव महोदय उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8— आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं संशोधन नियमावली–2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9— व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा शासन द्वारा मितव्यता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लाई जाय।
- 11— स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- 12— विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 13— स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2016 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को शासन को तत्काल समर्पित कर दिया जाए।
- 14— कार्य कराने से पूर्व कम से कम अधिकारी स्थल के अधिकारी स्थल का निरीक्षण कर लें, तथा यह सुनिश्चित करें कि आगणन में जो प्राविधान इंगित किये गये हैं वह स्थल की आवश्यकतानुसार है अथवा नहीं, स्थल आवश्यकतानुसार ही कार्य कराना सुनिश्चित करें।
- 15— कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लें, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।
- 16— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरी मदों में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ईकाई का होगा।

- 17— निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, अनियमित्ता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में धनराशि के दुरुपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 18— कार्य की गुणवत्ता तथा समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- 19— कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और इस लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमत्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टैण्डर आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाय।
- 20— कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य सम्पन्न होने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के पश्चात योजनाओं की फोटो ली जायेगी।
- 21— कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का प्रमाणीकरण संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा गुणवत्ता/कार्य पूर्ण/संतोषजनक होने के प्रमाणीकरण के उपरान्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं Third Party निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही कुल स्वीकृत धनराशि का अन्तिम भुगतान (25 प्रतिशत) किया जायेगा। कार्य सम्पन्न होने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के पश्चात क्षतिग्रस्त कार्ययोजनाओं की फोटो ली जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित मद तथा स्वीकृत धनराशि सीमेन्ट कांकीट/बोर्ड पर अंकित किया जायेगा। निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण न किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 22— स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं Third Party निरीक्षण आख्या अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। एतद सम्बन्धी सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे व जिला कार्यालय के सी0डी0सी0 अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों की सम्परीक्षा सुनिश्चित करायी जायेगी।
- 23— उक्त पर होने वाला व्यय शासनादेश संख्या— 08/XXXV-4/2016, दिनांक 05 जनवरी 2016 के अनुक्रम में स्वीकृत रु0 20.00 करोड़ प्राविधिक व्यवस्था के सापेक्ष प्रथमतः लेखाशीर्षक –8000—राज्य आकस्मिकता निधि—राज्य आकस्मिकता निधि—लेखा—201 समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या-3 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय, 60—अन्य भवन, 800—अन्य व्यय, 02—माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान, 24—वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

(सविन बंसल)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

### कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या—4067 / पन्द्रह-७३ / 2015–16, दिनांक: २१ मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री र्जी, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. मा० अध्यक्ष, जिला पंचायत अल्मोड़ा।
9. कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, भिकियासैं।
10. मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
11. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अल्मोड़ा।
12. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार।
13. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा।
14. कार्यालय प्रति।

(सविन बंसल)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।